उत्तर प्रदेश के एनसीआर ज़िलों में पटाखों पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) **ज़िलों** में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर **पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।**

मुख्य बिंदु

- **प्रतिबंध के बारे में:**
  - यह प्रतिबंध **दिल्ली-NCR क्षेत्र** के अंतर्गत आठ ज़िलों पर लागू होता है, जिनमें **मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुज़फ्फरनगर** शामिल हैं।
  - प्रतिबंध का क्रियान्वयन दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों से पूर्व **सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप** किया गया है, ताकि NCR में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत उल्लंघन करने पर पाँच वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - धारा 15 केंद्र सरकार को किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी को पर्यावरण संरक्षण के लिये कार्य करने का निर्देश देने का अधिकार देती है।
  - बार-बार अपराध करने पर, अनुपालन होने तक **प्रतिदिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना** लगाया जाएगा।
- **प्रतिबंध के उद्देश्य:**
  - **वायु प्रदूषण नियंत्रण:** इस प्रतिबंध का उद्देश्य त्योहारों के समय वायु प्रदूषण **में होने वाली वृद्धि**, विशेष रूप से पटाखों के उपयोग के कारण होने वाली वृद्धि को रोकना है।
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण:** इस उपाय का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाना है, विशेष रूप से उच्च प्रदूषण वाले महीनों के दौरान।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- **पृष्ठभूमि:**
  - **संसद** ने इस अधिनियम को भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित किया, जिसने **पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य संरक्षण** हेतु एक समग्र कानून की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **संवैधानिक आधार:**
  - यह अधिनियम **संविधान के अनुच्छेद 253** के अंतर्गत पारित किया गया, जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। इसे **1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन** में भारत द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये लागू किया गया।
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को **पर्यावरण प्रदूषण** को रोकने, **नियंत्रित करने** और उसका प्रत्युत्तर देने का अधिकार देता है।
    - इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को मानक निर्धारित करने, उत्सर्जन विनियमित करने, प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने तथा आवश्यक सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 48A** राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की रक्षा करने का निर्देश देता है।
  - **अनुच्छेद 51A (g)** प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसे सुधारने का प्रयास करें।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-announces-firecracker-ban-in-ncr-districts